Received on 7/5/1
Devendra Yadav
DPM
कोर्टकेस/सर्वोच्च प्राथमिकता/तत्काल/ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 11फ/2477 लखनऊ, दिनांकः 05 मई, 2015

विषयः–अवमाननावाद रिट पिटीशन संख्या–820/02 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए0पी0 सिंह व अन्य में समय–समय पर जारी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही/पंजीकरण/नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/शिविर/2007–08/523, दिनांक 20.04.2007(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत रिट पिटीशन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में आप द्वारा निजी चिकित्सकों/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक सेन्टरों/पैथालोजी व अन्य का पंजीकरण तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के साथ ही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.08.2010(छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रकिया का पालन किया जायः–

1. नवीनी पंजीकरण पूर्ववत स्वीकृत प्रकिया के अधीन होंगे, जिसमें आवेदक चिकित्सक जो नया व्यवसाय प्रारम्भ कर रहा है, मूल प्रमाण–पत्र फोटोयुक्त आवेदन पत्र तथा प्रमाणित छायाप्रतियां आदि सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्वयं भौतिक रूप से पंजीकरण के लिए उपस्थित होगा।

   मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक पूर्ण कर ली जाय। इस हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा माह अप्रैल से पूर्व कम से कम दो बार स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दिया जाय।

2. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यदि किसी चिकित्सक के अधिष्ठान में समय, सुविधाओं अथवा मानव संसाधन के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो पूर्व पंजीकरण के समय दिये गये विवरण में भिन्न है, की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी अनिवार्य होगी, ताकि समस्त अभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जा सके।

   प्रत्येक वर्ष 01 मई से अवशेष पंजीकरण के लिए लम्बित चिकित्सा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की सूची तैयार कर जनपद के पुलिस अधीक्षक को छापामारी कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जाय। यदि कोई वैध व्यक्ति/संस्थान पंजीकरण कराना चाहता है, तो मा0 न्यायालय के समक्ष विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए पंजीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

3. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चिकित्सकीय स्नातक/परास्नातक डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान/मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों का पंजीकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अवश्य प्रस्तुत करें।

4. पूर्व में पंजीकृत चिकित्सक जिनके संस्थान/क्लीनिक आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो, उनके द्वारा अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मूल आवेदन पत्र (जिस पर प्रथम बार पंजीकरण अंकित किया गया था की छायाप्रति के साथ) पंजीकृत डाक से एक सेल्फ पते के पंजीकृत लिफाफे के साथ सक्षम अधिकारी को भेजकर भी नवीनीकरण करा सकेगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार से प्राप्त नवीनीकरण के आवेदन के आवेदन पत्र नवीनीकृत कर, आवेदक को अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराये गये उनके पंजीकृत सेल्फ पते के लिफाफे में डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. पंजीकरण का समस्त कार्य निःशुल्क किया जायेगा तथा पंजीकरण की शेष व्यवस्था मा0 उच्च न्यायालय व पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप होगी।

New DMC Letter 2015-16

Scanned by CamScanner